International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 05, No. 04(III), October - December, 2023, pp. 37-44

सवाई माधोपुर जिले में पुलिस संगठन, कार्य प्रणाली एवं विश्लेषण

अनिता राठौड़*

सार

जैसा कि सर्वविदित है कि राज्य एक शक्ति संगठन है और वह पुलिस शक्ति के सहारे संचालित होता है जिसे लम्बे समय तक पुलिस राज्य के नाम से भी जाना गया। इसके बाद यह कल्याणकारी राज्य के रूप में भी कार्य करने लगा। राज्य के पुलिसतंत्र, राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के संदर्भ में इसके संगठन, कार्यप्रणाली एवं विश्लेषण को इस शोध आलेख में शामिल किया गया है। इस संदर्भ में इसका संगठन कैसा है? पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली क्या है? इस पर विश्लेषणात्मक विमर्श किया गया है।

शब्दकोशः *पुलिस, प्रशासन, संगठन, जनता, जिला।*

प्रस्तावना

जिला सवाई माधोपुर महानगर रेल मार्ग से 132 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ सड़क मार्ग जयपुर से दौसा– लालसोट–गंगापुर सिटी और इसके बाद सवाई माधोपुर है। रणथम्भौर बाघ परियोजना के कारण यहाँ हवाई पट्टी भी स्थापित की गई है। वर्तमान में भरतपुर संभाग के अन्तर्गत भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं सवाईमाधोपुर ये चार जिले शामिल किए गये हैं। पुलिस प्रशासन की दृष्टि से भरतपुर रेंज (परिक्षेत्र) के अन्तर्गत सवाई माधोपुर जिला आता है। सवाई माधोपुर जिले में वर्तमान में पुलिस जिला प्रशासन में एक पुलिस अधीक्षक, 2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 3 वृताधिकारी, 1 उप–अधीक्षक (एस.सी/एस.टी.) 6 पुलिस निरीक्षक, 24 उप–निरीक्षक, 72 सहायक उपनिरीक्षक, 95 मुख्य आरक्षक, 770 आरक्षक तथा 35 मंत्रालयिक कर्मचारी पुलिस विभाग जिला–सवाई माधोपुर में कार्यरत है। जिला सवाई माधोपुर की स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पुलिस पदों का विवरण जनवरी 2017 तक स्थिति निम्नानुसार है।

सारणी 1

क्रं.सं.	पद का नाम	स्वीकृत नफरी	वर्तमान कार्यरत नफरी	रिक्त पद
1	पुलिस अधीक्षक	1	1	–
2	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	2	2	–
3	उप–अधीक्षक पुलिस	4	2	2
4	पुलिस निरीक्षक	10	6	4
5	उप–निरीक्षक	44	24	20
6	सहायक उप–निरीक्षक	98	72	26
7	मुख्य आरक्षक	115	95	20
8	आरक्षक	935	770	165
9	मंत्रालयिक कर्मचारी	38	35	03

स्त्रोत – जिला पुलिस विभाग, सवाईमाधोपुर जनवरी, 2017 तक की स्थिति।

* शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

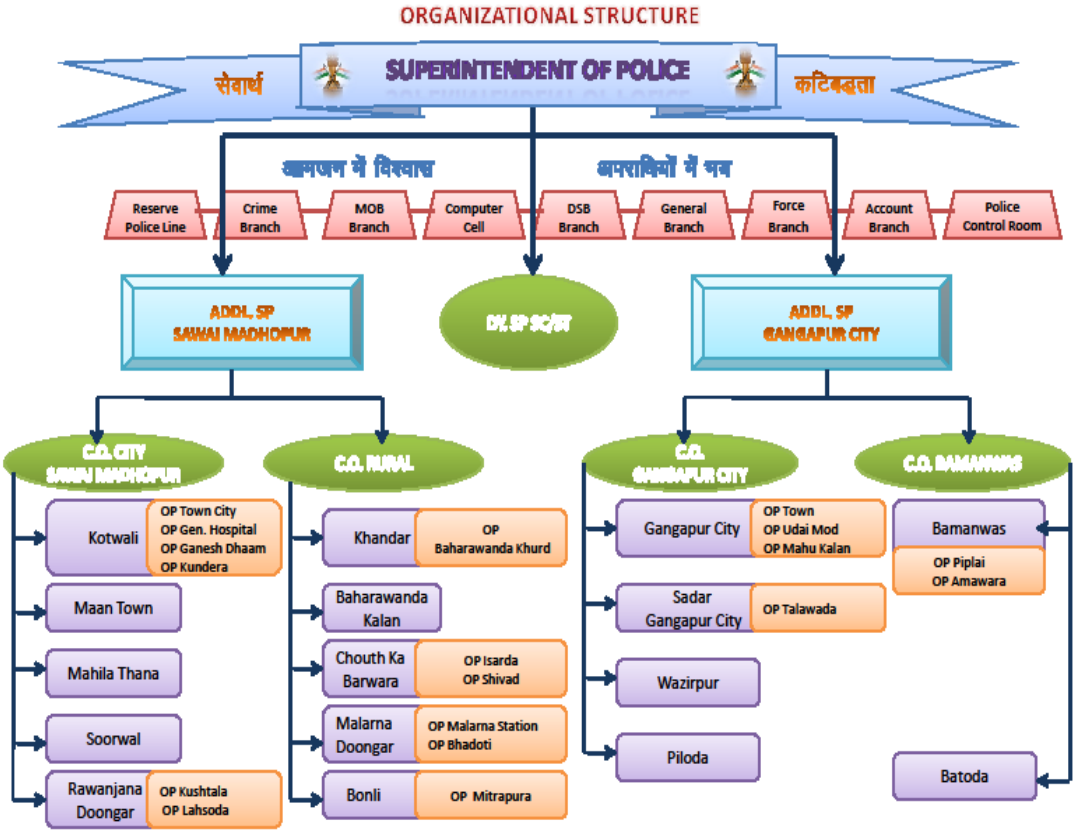

वर्तमान में समूचे जिले में 13 पुलिस थाने एवं 17 पुलिस चौकियाँ गृह विभाग राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित की गई है। सवाईमाधोपुर जिले को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से 4 उपखण्ड मुख्यालय सवाईमाधोपुर, गंगापुरसिटी, बौंली तथा बामनवास मुख्यालय स्थापित किए गये हैं। 7 तहसीलें सवाईमाधोपुर, खण्डार, बौंली, गंगापुर सिटी, चौथ का बरवाड़ा, मलारना डूँगर तथा बामनवास स्थापित की गई है। 5 पंचायत समिति सवाईमाधोपुर, खण्डार, बौलीं, गंगापुरसिटी, बामनवास और महुवा में पंचायत समिति कार्यालय कार्यरत है। सवाईमाधोपुर में 4 विधानसभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी बामनवास और खण्डार बनाये गये हैं। जिला सवाईमाधोपुर के उत्तर दिशा में जिला करौली, दौसा, दक्षिण दिशा में जिला कोटा, बूंदी और टोंक, पूर्व दिशा में जिला श्योपुर (मध्यप्रदेश) तथा पश्चिमी दिशा में जिला टोंक का क्षेत्र लगता है। जिला मुख्यालय सवाईमाधोपुर–दिल्ली–मुम्बई मुख्य रेल मार्ग पर स्थित है।

सवाई माधोपुर जिले की भौगोलिक अवस्थिति

यह जिला राजस्थान प्रदेश के पूर्वी भाग में 75–59 से 77–23 पूर्वी देशान्तरों तथा 25–45 से 26–12 उतरी अक्षांशों के बीच 5043 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। इसके चम्बल नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर और मध्यप्रदेश के मुरैना जिलों की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। चम्बल नदी के पाली घाट पर एक पुल बना हुआ है।

सवाई माधोयपुर जिला पुलिस का संगठनात्मक चार्ट

पुलिस अधिक्षक

अति. पु. अधिक्षक (सवाई माधोपुर) निरक्षक सवाई माधोपुर शहर कोतवाली मेनटाउन महिला थाना सूरवाल रवांजाना डूंगर	अति. पु. अधिक्षक (गंगापुर सिटी) निरक्षक सवाई माधोपुर ग्रामीण खाण्डर भरवांदा कला चोथ का बरवाडा मलारणा डूंगर

नवम्बर 2016

पुलिस अधीक्षक

विशिष्ट जांच पडताल शाखा वैश्यावृति, अवरोधक शाखा नियंत्रक कक्ष सवाई माधोपुर पुलिस जिला पुलिस अपराध शाखा लेखा शाखा पत्र प्राप्ति, प्रस्तापना शाखा, स्टोर सामान्य जिला विशेष शाखा, कम्प्यूटर विशिष्ट

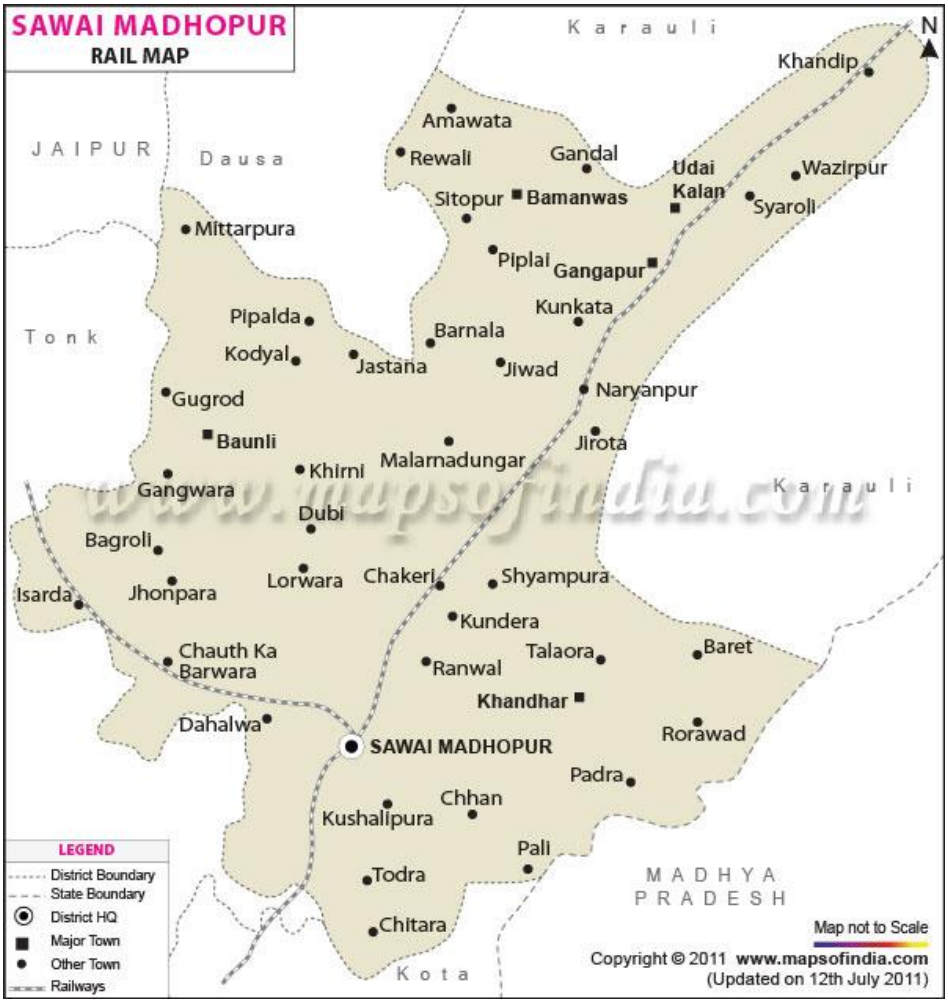

सन् 2011 की जनगणना के अनुसार इस जिले की कुल जनसंख्या 121106 निवास करती है। इस जिले में 3 उप–तहसीलें, 33 गिरदावरी वृत, 275 पटवार सर्किल, 718 आबादी गाँव, 82 गैर–आबाद गाँव, 197 ग्राम पंचायते 767 विद्युतीकरण गाँव, 11 पुलिस थाने, 5 पुलिस चौकियाँ तथा 4 कारागृह स्थित हैं। जिले में गंगापुरसिटी (ओ.बी.सी) बामनवास (एस.टी.) सवाईमाधोपुर तथा खण्डार (एस.सी.) आरक्षित विधानसभा क्षेत्र स्थापित किए गए है एवं यह जिला राजनैतिक दृष्टि से टोंक, सवाईमाधोपुर लोकसभा क्षेत्र (सामान्य) क्षेत्र स्थापित किया है। बनास जिले की प्रमुख नदी हैं। यह नदी दक्षिण में टोंक जिले से सवाईमाधोपुर जिले में प्रवेश करती है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों के महिलाओं के विरूद्व विभिन्न अपराधों के सम्बन्ध में वर्ष 2005 में स्तब्ध कर देने वाले रोचक तथ्य प्राप्त हुये थे। ये सारे तथ्य झकझोर कर देते है। 1. हर 3 मिनट में महिलाओं के विरूद्व अपराध होता है। 2. हर 29 मिनट में बलात्कार किया जाता है। 3. हर 15 मिनट में महिला के साथ छेड़छाड़ की जाती है। 4. हर 53 मिनट में एक महिला यौन उत्पीड़न की शिकार बन जाती है। 5. हर 77 मिनट में एक दहेज पीड़िता की मृत्यु हो जाती है। 6. हर 9 मिनट में एक महिला पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता की शिकार होती है तथा 10 हर 23 मिनट में एक महिला अपहरण या उसे भगा ले जाने की शिकार होती है। दहेज मृत्यु, महिला की गरिमा भंग करना, अपहरण या भगा ले जाना, बलात्कार, विदेश से लड़कियों का आयात, क्रूरता, लज्जाभंग, सती मंडित करना, वैश्यावृति, अशिष्टरूपण, दहेज, प्रहार, उपहति, आदि प्रमुख दाण्डिक अपराध होना पाये गये है। जिले में महिलाओं सम्बन्धी कई कुप्रथाएँ अभी भी प्रचलन में चल रही है जिनमें बाल–विवाह, विधवा–विवाह, बहुविवाह, मां बनने पर प्रताड़ना, दहेज हत्याएँ आदि स्वरूपों में प्रथाएं विद्यमान है। भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत धारा 304 (ख) दहेज मृत्यु गर्भपात, धारा 354 स्त्री लज्जा भंग, धारा–361 में विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यपहरण, धारा–363 भीख मांगने के लिए अप्राप्त का अपहरण या विकलांगीकरण करना, धारा 364 में फिरौती हेतु व्यपहरण, धारा–365 सदोष परिरोध करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण, धारा–366 विवाह करने के विवश करने हेतु व्यपहृत या अपहत या उत्पीड़ित करना, धारा–366 (क) अप्राप्तवयता लड़की का उपामन, 366 (ख) विदेश से लड़की का आयात करना, धारा–368 अपहत या व्यपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना, धारा–372 व 734 वैश्यावृति हेतु अप्राप्तवय को बेचना–खरीदना, धारा 375 बलात्संग, 376 (क) से (ड) सामूहिक बलात्संग, धारा 377 प्रकृति के विरूद्व अपराध, धारा–393 से 494 तक वैवाहिक अपराध, धारा 397 जारकर्म, धारा 498 क क्रूरता, धारा 509 शब्द अंगविक्षेप या लज्जा का अनादर करना आदि महिला सम्बन्धी अपराध बनते हैं। सन् 1979 में महिला पुलिस की संख्या जोकि मात्र 0.4 प्रतिशत थी वह बढ़कर सन् 1990 में 1.05 प्रतिशत हो गई है। राजस्थान में वर्तमान में 6–7ः महिलाओं पुलिस में संख्या थी। हाड़ा रानी, अर्द्ध–सशस्त्र बटालियन (वाहिनी) व भील कोर की नई स्थापना की गई है। इसमें केवल महिलाओं की भर्ती की जाती है। देश में कुल 124887 पुलिस स्टेशन है जिनमें 295 महिला पुलिस स्टेशन खोले गये हैं। जो कुल पुलिस स्टेशनों का 2.4 प्रतिशत है। 31 दिसम्बर, 2005 के आँकड़ों के अनुसार देश की महिला सिविल पुलिस की कुल संख्या 40,101 है जबकि महिला पुलिस के स्वीकृत पद 40,737 है। कुल सिविल पुलिस में महिला सिविल पुलिस का प्रतिशत मात्र 1.26 फीसदी है। मिजोरम, दमन एवं दीव में कोई महिला पुलिस नहीं है। राज्यों में सबसे अधिक महिला पुलिस की संख्या तमिलनाडू में 7980 है। संघ शासित क्षेत्रों में सबसे अधिक महिला पुलिस की संख्या नई दिल्ली में है।

जिला भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था एक महत्वपूर्ण इकाई है इस स्तर पर सरकार के सभी अपने अधिकारी लोकनीति को क्रियांन्वित कराते है। जिले को न केवल स्वत्रंता उपरान्त अपितु स्वत्रंता पूर्व से ही अंग्रेजी राज के अर्न्तगत भू राजस्व एकत्रित करने आन्तरित शांन्ति व्यवस्था तथा जिलो में अपराधो पर नियंत्रण एवं रोकथान हेतु महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई माना जाता रहा है।

जनसंख्या का घनत्व एवं साक्षरता

वर्ष 1951 में जिले में जनसंख्या का घनत्व 70 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था जो बढकर 1961 में 90 और 71 में 113 हो गया वर्तमान में इसकी संख्या 2000 से उपर पहुच गई है।

सारणी 2: जिले में साक्षरता दर

जनगणना वर्ष	पुरूष (प्रतिशत में)	महिला (प्रतिशत में)	कुल (प्रतिशत में)
1951	11.06	1.03	6.38
1961	21.05	3.05	12.68
1971	25.89	5.18	16.29
1981	36.30	8.16	23.23
1991	42.75	11.41	28.31
2001	49.38	17.05	32.25
2011	90.08	67.98	79.00

जिला आयोजना प्रकोष्ठ, सवाईमाधोपुर

भारतीय प्रशासन की वर्तमान संरचनात्मक व्यवस्था में जिला स्तरीय इकाई अनेक कारणों से औचित्यपूर्ण व सुविधा जनक इकाई है । यह एक तथ्य है कि जिला स्तरीय पुलिस संगठन की कार्य कुशलता, तत्परता, मनोबल आदि कानून व्यवस्था तथा आन्तरिक सुरक्षा को उचित रूप से बनाए रखना है।

प्रस्तुत अध्याय में राजस्थान राज्य के सवाईमाधोपुर जिले में कार्यरत पुलिस बल के संगठनात्मक व कार्यकरण का आलोचनात्मक विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। सवाईमाधोपुर जिले में पुलिस बल को प्रशासन व प्रबन्ध के प्रयोजन से दो भागो में विभक्त किया गया है।

- सवाईमाधोपुर शहर
- सवाईमाधोपुर ग्रामीण

सवाईमाधोपुर पुलिस व्यवस्था गठन एवं कार्यव्यवस्था

सवाईमाधोपुर शहर क्षेत्राधिकार में जनसंख्या की अधिकता तथा आन्तरिक कानून व्यवस्था की उभरती हुई नव चुनौतियों के परिणाम स्वरूप जिला अधीक्षक की सहायता व सहयोग हेतु पुलिस मुख्यालय में उसके कार्यालय में अनेक पुलिस अधिकारी व अन्य गैर पुलिस कार्मिक वर्ग होता है।

- पुलिस अधीक्षक के प्रत्यक्ष नियन्त्रण व पर्यवेक्षण में द्वितीय स्तर पर कार्यरत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक होते है।
- उपपुलिस अधीक्षक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सामान्यतया पुलिस अधीक्षक द्वारा दिये गये निर्देशो व अन्य प्रशासनिक कार्य जो पुलिस अधीक्षक को करने होते है प्रत्यायोजित करता है। इसका प्रमुख कारण जिला अधीक्षक के पास समय का अभाव तथा कार्यो की जटिलता है।

इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की अनुपस्थिति व अवकाश होने की स्थिति में यह अधिकारी प्रशासनिक कार्यो का सम्पादन करता है।

- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (प्रथम)

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुलिस अधीक्षक के प्रत्यक्ष नियन्त्रण व पर्यावेक्षण में कार्य करता है इस पुलिस अधिकारी के कार्य सवाईमाधोपुर शहर में बढते हुए यातायात के दबाव को नियन्त्रित करना है। इस अधिकारी का यह भी दायित्व है कि वह विद्यालयो, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा शहर में यातायात नियमों के बारे में लोगो को जानकारी देकर जागरूक बनाऐं । इस हेतु वह अपने निर्देशक में यातायात सप्ताह,

यातायात राह व समय–समय पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में कैम्प लगाने की व्यवस्था करता है तथा निःशुल्क साहित्य वितरण भी किया जाता है।

- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (द्वितीय)

अतिरिक्त का पुलिस अधीक्षक का मुख्य कार्य अपराधों की रोकथाम करना है। अतः इसके इस दायित्व को निभाने में सहायता करने हेतु एक संगठनात्मक ढांचे का निर्माण किया गया है।

- विशिष्ट प्रतिवेदन अनुभाग
- विभागीय जाँच पडताल अनुभाग
- परिवाद अनुभाग
- साँख्यिकी अनुभाग
- अन्य

(ग्रामीण)

ग्रामीण पुलिस बल का प्रमुख पुलिस अधिकारी होता है। राज्य के सभी जिलों में नियुक्त अधिकारी के कार्य व दायित्व में एकरूपता है। किन्तु अपराधों की संख्यात्मक वृद्धि, उनकी प्रकृति एवं कानून व व्यवस्था की दृष्टि से जिले की संवेदनशीलता के आधार पर पुलिस अधीक्षक के दायित्वों व चुनौतियों में परिवर्तन हेाता रहता है। किन्तु यह परिवर्तन अपनी मात्रात्मक स्वरूप में अधिक नहीं होता है। सी ओ ग्रामीण के प्रत्यक्ष नियंत्रण व निर्देशन में निर्धारित पुलिस बल कार्यशील रहती है। देहात में कार्यरत पुलिस बल की संख्या 1158 है।

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के मुख्यालय में संरचनात्मक गठन

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के मुख्यालय में लगभग उतनी ही शाखाऍं व अनुभाग है जितने कि पुलिस अधीक्षक शहरी कार्यालय में। केवल निम्नांकित दो शाखाऍं वर्तमान मं अस्तित्व में नहीं है–1. विशिष्ट जॉच पडताल शाखा (एस.आई.एस.) तथा 2. वैश्यावृत्ति अवरोधक शाखा (एस.आई.टी.) विभिन्न शाखाओं व अनुभागों के कार्य, दायित्व व क्षेत्राधिकार व कार्यप्रकृति लगभग वैसे ही है जैसे पुलिस अधीक्षक शहर के मुख्य कार्यालय में कार्यरत शाखाओं व प्रभागों के है। प्रत्येक शाखा व अनुभाग में पुलिस नागरिक सेवाओं के अधिकारी कार्यरत है। शाखा व अनुभाग क्रम में कार्यरत कार्मिक की स्थिति निम्नलिखित है :–

- **लेखा शाखा**

इस शाखा का मुख्य अधिकारी कनिष्ठ लेखाकार होता है जिसकी सहायता के लिए एक वरिष्ठ लिपिक तथा चार कनिष्ठ लिपिक होते हैं।

- **पत्र प्राप्ति शाखा**

इस शाखा में एक वरिष्ठ लिपिक, एक टंकण–कर्ता तथा एक कनिष्ठ लिपिक होता है।

- **प्रस्थापना शाखा**

यह शाखा एक कार्यालय सहायक के नियंत्रण में कार्य करती है। कार्यालय सहायक की सहायता के लिए उसके अधीन एक वरिष्ठ लिपिक तथा चार कनिष्ठ लिपिक होते हैं।

जिला (ग्रामीण) पुलिस प्रवचन व्यवस्था में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) जैसा कि पूर्व में लिखा गया है कि वह वृत्तों तथा इनसे संलग्न थानों व चौकियों का प्रमुख पुलिस अधिकारी होता है। दोनों वृत्तों में आवश्यकतानुसार कार्यरत पुलिस बल तथा दोनों वृत्तों की कुल संख्या को अग्रिम पृष्ठों में ग्राफों द्वारा प्रदर्शित किया गया है जो कि एक तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में भी प्रकट करता हैं

- **नियन्त्रण कक्ष सवाईमाधोपुर पुलिस शहर**

इस कक्ष में आपात गतिविधियों के संचालन हेतु तीन पुलिस निरीक्षक 15 पुलिस उप निरीक्षक 22 पुलिस सहायक उप निरीक्षक, 30 मुख्य कान्स्टेबल तथा 55 कान्स्टेबल होते हैं। इस शाखा का कार्य आपात स्थिति में शीघ्रता से पुलिस बल का इन्तजाम करते है एवं शहर में घटित किसी भी अपराध की सूचना इसे दी जा सकती है। आम नागरिक को यह शाखा आपात स्थिति में अपेक्षित सहायता प्रदान करता है।

- **लेखा शाखा**

मुख्यालय की लेखा शाखा का काम लेखा–जोखा, बजट आवंटन के अन्तर्गत खर्च व खर्चों का हिसाब, कार्मिक का वेतन आदि है। इस शाखा में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है–दो लेखाकार, तीन कनिष्ठ लेखाकार, तीन वरिष्ठ लिपिक तथा कुछ कनिष्ठ लिपिक।

- **प्रस्थापना (बल) शाखा**

इस शाखा के प्रमुख कार्य पुलिस तथा गैर पुलिस कर्मियों के कार्मिक मामलों को देखना है। जैसे कि भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, अनुशासनात्मक कार्यवाहियॉ इत्यादि। सवाईमाधोपुर पुलिस कार्यालय की इस शाखा में कार्यरत कार्मिक की स्थिति इस प्रकार है–एक कार्यालय सहायक, पांच वरिष्ठ लिपिक तथा ग्यारह कनिष्ठ लिपिक।

- **सामान्य शाखा**

सामान्य शाखा का कार्य भवन, वाहन इत्यादि का रख–रखाव करना, आग्नेय शस्त्र, विस्फोटक सामग्री इत्यादि हेतु लाइसेन्स जारी करना, चुनाव कार्य में पुलिस बल को तैनात करना इत्यादि। इस शाखा में एक कार्यालय सहायक, एक वरिष्ठ लिपिक तथा पांच कनिष्ठ लिपिक होते हैं।

- **जिला विशेष शाखा (डी.एस.बी.)**

इस शाखा का कार्य अपनी प्रकृति में अर्ध आसूचना का होता है। राजनैतिक दलों की गतिविधियां, छात्र आन्दोलन, श्रमजीवी संघों द्वारा किये जाने वाले आन्दोलन व हडताल एवं अपराधियों पर निगाहें रखना इस शाखा के कुछ प्रमुख कार्य है। इसके अतिरिक्त अतिमहत्त्वपूर्ण तथा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति के आगमन पर सुरक्षा सम्बन्धी सूचनाएं जिला अधीक्षक को सम्प्रेषित करना भी इस शाखा का कार्य है।

- **संगणक शाखा**

पुलिस कार्यकरण को आधुनिक व तत्पर बनाने के उद्देश्य से इस शाखा का गठन किया गया है, जिसका प्रमुख दायित्व चुराये गये वाहनों जो थानों में रखे हैं, उनके ऑकडों को तैयार करना, कार्मिक के वेतन प्रपत्र तैयार करना, अपराध ऑकडों का सकलन करना तथा कार्मिक की सेवा पंजिका तैयार करना है। इस शाखा में दो डाटा एन्ट्री ऑपरेटर होते है। पुलिस मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं में कार्यरत गैर पुलिस कर्मचारी भी नियुक्त किए जाते हैं, जो कि सम्बन्धित शाखा के निर्धारित व आवंटित कार्यों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है।

सवाई माधोपुर जिले की अपराध सांख्यिकी

अपराध रिपोर्ट के अनुसार,. सन 2013 में सवाई माधोपुर जिले में दर्ज हुए अपराधो के सिलसिले में राष्ट्रीय अपराध दर तुलना में सवाई माधोपुर की अपराध दर अधिक थी।

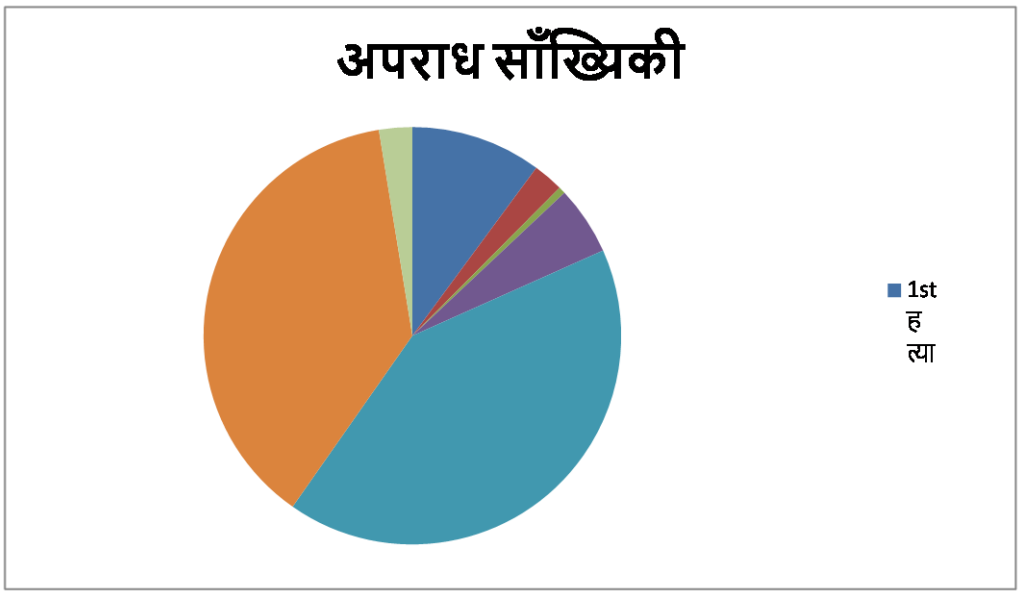

सवाई माधोपुर जिले के अपराध सांख्यिकी, 2013

पिछले साल 2013 की अपराध रिपोर्टों के अनुसार सवाई माधोपुर में 4,077 अपराध दर्ज किए गए हैं।

- सवाई माधोपुर में 2013 में राष्ट्रीय अपराध दर 218.67 की तुलना में 305.27 की उच्चतम अपराध दर है।
- सवाई माधोपुर में, उच्चतम अपराध दंगे हैं, जहां 2013 में सबसे कम अपराध चोरी है।

आमजन की सवाईमाधोपुर पुलिस के प्रति राय तथा राजनितिक व पुलिस की प्रशासन सम्बन्धित राय जानने के लिए प्रश्नावली बनाकर आंकडे एकत्रित किए गये।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. इण्डियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाल्यूम नवम्बर 1, 1967
2. रिपोर्टस ऑफ नेशनल पुलिस कमिशन, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1982
3. सिंघवी, जी.सी, डिस्ट्रिेट एण्ड डिस्ट्रिक्ट पुलिस कन्सट्रेन्टस डिलेमास एण्ड इप्पैरेटिव्ज, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (अक्टूबर से दिसंबर 1973) 465 से 524
4. शर्मा बी.एस., भारतीय पुलिस, पंचशील प्रकाशन, जयपुर 1989
5. शर्मा, बी.एम., भारतीय पुलिस, उपरोक्त
6. शर्मा, बी.एस, पुलिस मजिस्ट्रेट रिलेशन्स, उपरोक्त
7. शर्मा, बी.एस.एम, पुलिस मजिस्ट्रेसी, रिलेशन्स
8. शर्मा, बी.एस., पुलिस मजिस्ट्रेसी रिलेशन्स, जयपुर प्रिन्ट वेल 1991
9. शर्मा, पी.डी., पुलिस, पॉलिटी एण्ड पीयूपल इन इण्डिया, उप्पल पब्लिशिंग हाऊस, न्यू देहली, 1981
10. अग्रवाल, एस. के., लिगल एडिसन, न्यू इण्डिया, 1973

❖◆❖